न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2016 अपील

1.श्रीमती शांतिदेवी पत्नी स्व. श्री मोहनलाल रेगर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2.श्रीमती नर्बदा पुत्री स्व. मोहन लाल रेगर निवासी ढिकोला
3.श्रीमती भगवती पुत्री स्व. मोहनलाल रेगर निवासी शाहपुरा
4.श्रीमती रेखा पत्नी स्व. प्रदीप रेगर निवासी शाहपुरा
5.श्री रोहित पुत्र स्व. प्रदीप रेगर अवयस्क आसन्नमित्र माता रेखा –अपीलाण्ट 4
6.श्री विकम पुत्र स्व. प्रदीप रेगर अवयस्क आसन्नमित्र माता रेखा –अपीलाण्ट 4
7.श्रीमती सुशीला पत्नी स्व. सुरेन्द्र रेगर निवासी शाहपुरा
8.सुश्री हिना पुत्री स्व. सुरेन्द रेगर अवयस्क जरिये आसन्नमित्र माता श्रीमती सुशीला – अपीलाण्ट 7
9. श्री दीपक पुत्र स्व. सुरेन्द्र रेगर अवयस्क जरिये आसन्नमित्र माता श्रीमती सुशीला –अपीलाण्ट सं. 7
10. श्री रवि पुत्र स्व. सुरेन्द्र रेगर , अवयस्क जरिये आसन्नमित्र माता श्रीमती सुशीला अपीलाण्ट सं. 7

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री लादू आत्मज स्व. मोहन रेगर , निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. कमला पुत्री स्व. मोहन रेगर निवासी शाहपुरा
3. लाली पुत्री स्व. मोहन रेगर निवासी शाहपुरा
4. गीता पुत्री स्व0 मोहन रेगर निवासी शाहपुरा
5. श्रीमती छाउ पत्नी स्व. मोहन रेगर निवासी शाहपुरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले
नामान्तरकरण सं0 4033 निर्णय दिनांक 09.10.2015

उपस्थित –
1. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 5 अनुपस्थित
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट सं. 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.04.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा को बमामलें

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

नामान्तरकरण सं. 4033 निर्णय दिनांक 09.10.2015 के खिलाफ दिनांक 17.10.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज मोडा पिता सोराम रेगर के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि खतौनी सं. 1782 में आराजी सं. 611,612,एवं 7127 कुल किता 3 रकबा 1.1600 हैक्ट. भूमि मोडा के स्वर्गवास के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 1172 के जरिये उनके इकलौते पुत्र मोहन लाल के नाम दिनांक 28. 06.2005 को नामान्तरित की गई । अपील मेमों में अंकित सजरे अनुसार मोडा पिता सोराम रेगर के स्वर्गवास पर भूमि विरासत से उनके पुत्र मोहनलाल के नाम नामान्तरित की गई, मोहन लाल के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमि विरासत के आधार पर अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरित की जाने योग्य थी एवं हैं । ग्राम शाहपुरा में मोहन पिता मोडा रेगर के नाम से अपीलाण्ट्स के पूर्वज के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति और हैं। जिसका सजरा अपील मेमों में अंकित हैं। इस सजरे अनुसार अपीलाण्ट्स के पूर्वज मोहन पिता मोडा के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी कृषि भूमि विरासत के आधार पर अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरित नहीं कर आलौच्य नामान्तरकरण सं. 4033 द्वारा मनमाना एवं अवैध तरीके से रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 लगायत 05 के नाम नामान्तरित कर दी गई । जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से मिलते ही दिनांक 04.10.2016 को नकल प्राप्त कर नियमानुसार यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित जाँच किये बगैर मनमाना एवं अवैध तरीके से उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण मोडा पिता देवी के वारिसान रेस्पोडेण्ट सं. 01 लगायत 5 के नाम नामान्तरित करने में भारी अवैधानिकता की हैं। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही से पूर्व न तो अपीलाण्ट्स से कोई पूछताछ की गई और न अपीलाण्टस के बारे में समुचित जाँच पड़ताल की गई । मोडा पिता देवी के वारिस मोहन लाल की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलाण्ट्स की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि को शामिल करते हुए इसे अपीलाण्ट्स के बजाय रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 05 के नाम किया गया नामान्तरकरण अवैध एवं विधि विरूद्व होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि अपीलाण्ट्स की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण सं. 4033 दिनांक 9.10.2015 ग्राम शाहपुरा को अपास्त किया जाकर इसका नामान्तरकरण अपीलाण्ट्स के नाम नामन्तरित करने का आदेश पारित फरमाया जावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.10.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये जाने हेतु दिनांक 30.11.2016 को पत्र लिखा गया , बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ ।

आज दिनांक 13.04.2017 को अपीलार्थीगण अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित जाँच किये बगैर मनमाना

एवं अवैध तरीके से उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण मोडा पिता देवी के वारिसान रेस्पोडेण्ट सं. 01 लगायत 5 के नाम नामान्तरित करने में भारी अवैधानिकता की हैं। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही से पूर्व न तो अपीलाण्ट्स से कोई पूछताछ की गई और न अपीलाण्टस के बारे में समुचित जाँच पड़ताल की गई । मोडा पिता देवी के वारिस मोहन लाल की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलाण्ट्स की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि को शामिल करते हुए इसे अपीलाण्ट्स के बजाय रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 05 के नाम किया गया नामान्तरकरण अवैध एवं विधि विरूद्व होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि अपीलाण्ट्स की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण सं. 4033 दिनांक 9.10.2015 ग्राम शाहपुरा को अपास्त किया जाकर इसका नामान्तरकरण अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरित करने का आदेश पारित फरमाया जावें ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। ग्राम शाहपुरा में मोहन पिता मोडा रेगर के नाम से अपीलाण्ट्स के पूर्वज के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति और हैं, जिसका सजरा अपील मेमों में अंकित हैं। इस सजरे अनुसार अपीलाण्ट्स के पूर्वज मोहन पिता मोडा के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी कृषि भूमि विरासत के आधार पर अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरित नहीं कर आलौच्य नामान्तरकरण सं. 4033 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 लगायत 05 के नाम नामान्तरित कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित जाँच किये बगैर उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण मोडा पिता देवी के वारिसान रेस्पोडेण्ट सं. 01 लगायत 5 के नाम नामान्तरित करने में भारी अवैधानिकता की हैं। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही से पूर्व न तो अपीलाण्ट्स से कोई पूछताछ की गई और न अपीलाण्टस के बारे में समुचित जाँच पड़ताल की गई । मोडा पिता देवी के वारिस मोहन लाल की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलाण्ट्स की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि को शामिल करते हुए इसे अपीलाण्ट्स के बजाय रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 05 के नाम किया गया। ग्राम शाहपुरा में मोहनलाल पिता मोडा पिता सोराम रेगर एवं मोहन पिता मोडा पिता देबी रेगर नाम के एक ही वल्दीयत के दो व्यक्ति थे । मोहनलाल पिता मोडा पिता सोराम रेगर की मृत्यु के पश्चात् विरासत नामान्तरकरण सं. 4033 में मोहन पिता मोडा पिता देबी रेगर के वारिसान रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 05 के नाम गलत दर्ज कर दी , जबकि नामान्तरकरण सं. 4033 में अपीलाण्ट्स विधिक वारिसान होना प्रतीत होते हैं । जिससे नामान्तरकरण सं. 4033 अपास्त किये जाने योग्य हैं एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 4033 दिनांक 09.10. 2015 को तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत स्वीकार की जाती हैं। ग्राम शाहपुरा के नामान्तरकरण सं. 4033 दिनांक 09.10.2015 को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

रिमाण्ड कर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण सं. 4033 में पुनः नियमानुसार विरासतन नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु पूर्ण जाँच कर नये नामान्तरकरण आदेश जारी करें । निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/4/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा